11/2018

26.8.19

पत्रावली दिनांक 23.8.2019 से 25.8.2019 तक अवकाश होने पर आज पेश हुई। वादीगण वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रतिवादीगण के सम्मन तलबाना पेश किये जाने के प्राप्त अवसर दिये जानें के उपरांत भी आदिनांक तक वादीगण द्वारा सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है,और न ही वादीगण न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। इससे प्रतीत होता है,कि वादीगण वकील प्रकरण को अनावश्यक लम्बित करना चाहतें है,और न्यायालय आदेश की पालना भी नहीं कर रहे है। इसी सूरत में वादीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। एवं आज न्यायालय समय में तीन बार अलग अलग समय में आवाजें दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादीगण में से कोई हाजिर नहीं हुआ है।

लिहाजा वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खाारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.04 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested